न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कपासन, जिला चित्तौड़गढ़

<u>पीठासीन अधिकारी– विनोद कुमार (आर.ए.एस.)</u>

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
51 / 2022	18.04.2022	15.06.2022

अनवान

1. कमलाबाई पुत्री गुणेश जाति काछी आयु वयस्क निवासी काछीयाखेडी तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
2. ज्ञानीबाई पुत्री गुणेश जाति काछी आयु वयस्क निवासी काछीयाखेडी तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
3. तुलसीबाई पुत्री गुणेश जाति काछी आयु वयस्क निवासी काछीयाखेडी तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
4. प्रेमीबाई पुत्री गुणेश जाति काछी आयु वयस्क निवासी काछीयाखेडी तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
5. शंकर पुत्र गुणेश जाति काछी आयु वयस्क निवासी काछीयाखेडी तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
6. सरजुबाई पुत्री गुणेश जाति काछी आयु वयस्क निवासी काछीयाखेडी तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।

प्रार्थीगण

बनाम

1. उदी पत्नि गणेश जाति काछी आयु वयस्क निवासी काछीयाखेडी तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
2. गंगा पत्नी प्रभु लाल जाति काछी आयु वयस्क निवासी काछीयाखेडी तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
3. रूकमणी पत्नी भागचन्द जाति काछी आयु वयस्क निवासी काछीयाखेडी तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
4. गणेश पिता तेजपाल जाति काछी आयु वयस्क निवासी काछीयाखेडी तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
5. जमना त्रिपाठी पत्नी जगदीश शर्मा जाति काछी आयु वयस्क निवासी पूर्बिया मौहल्ला तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ़।
6. प्रभु लाल पिता तेजपाल काछी आयु वयस्क निवासी काछीयाखेडी तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
7. रामेश्वर पिता किशन लाल जाट आयु वयस्क निवासी कपासन तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
8. शंकर लाल पिता किशन जाट आयु वयस्क निवासी कपासन तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
9. शंकरी पुत्री किशन लाल जाट आयु वयस्क निवासी कपासन हाल मुकाम सोनियाणा।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official
Signature Not Verified
Digitally signed by Vinod Kumar
Date: 2022.08.17 12:32:31 IST
Reason: SelfAttested

10. सोहनी पत्नी राम लाल गुर्जर आयु वयस्क निवासी गुजरियाखेडी तहसील कपासन तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
11. अंकिता पुत्री राजेन्द्रकुमार जाति महाजन आयु वयस्क निवासी कपासन तहसील कपासन।
12. अपूर्व पुत्र राजेन्द्रकुमार जाति महाजन आयु वयस्क निवासी कपासन तहसील कपासन।
13. अरूणकुमार पुत्र मोती लाल जाति महाजन आयु वयस्क निवासी कपासन तहसील कपासन।
14. अशोक कुमार पुत्र मोती लाल जाति महाजन आयु वयस्क निवासी कपासन तहसील कपासन।
15. आदित्य पुत्र राजेन्द्रकुमार जाति महाजन आयु वयस्क निवासी कपासन तहसील कपासन।
16. आरती पुत्री महेन्द्र कुमार जाति महाजन आयु वयस्क निवासी कपासन तहसील कपासन।
17. करूणकुमार पुत्र मोती लाल जाति महाजन आयु वयस्क निवासी कपासन तहसील कपासन।
18. चन्द्रलेखा पत्नि राजेन्द्रकुमार जाति महाजन आयु वयस्क निवासी कपासन तहसील कपासन।
19. दीपक पुत्री महेन्द्र कुमार जाति महाजन आयु वयस्क निवासी कपासन तहसील कपासन।
20. पूजा पुत्री महेन्द्र कुमार जाति महाजन आयु वयस्क निवासी कपासन तहसील कपासन।
21. लाडकंवर पत्नि महेन्द्र कुमार जाति महाजन आयु वयस्क निवासी कपासन तहसील कपासन।

अप्रार्थीगण

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

उपस्थितिः— अधिवक्ता श्री गोविन्द सिंह पवार — प्रार्थीगण
एक तरफा — अप्रार्थीगण

—:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज0 भू—राजस्व अधिनियम::—

—:: निर्णय ::—

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 128 राज0 भू—राजस्व अधिनियम, 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा कपासन पटवार हल्का कपासन तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ की जमाबंदी संवत् 2074—2077 के खाता संख्या 1550 में अभिलिखित आराजीयात आराजी संख्या 6704 रकबा 0.4300 है0 प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे काश्त की है, और अप्रार्थी[illegible]जियात जैर—बहस के पडौसी खातेदारान है। प्रार्थीगण ए[illegible]च कोई स्थाई सीमा चिन्ह नहीं होने के कारण विवाद होता रहता है अतः प्रार्थीगण की खातेदारी की आराजियात की मौके पर अभिलेख अनुसार नपती की जाकर मौके पर स्थाई सीमा—चिन्ह स्थापित किया जावें। प्रार्थीगण वा[illegible] भूमि के खातेदार काश्तकार है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vinod Kumar
Date: 2022.08.17 12:32:31 IST
Reason: SelfAttested

इस पर प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। आज दिनांक 15.06.2022 को अप्रार्थी संख्या 1, 3, 12, 15, 19 द्वारा पूर्व में जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया।

अप्रार्थी संख्या 2 , 4 से 8, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 21 बावजूद सूचना के हाजिर नहीं आने से उक्त अप्रार्थीगण के विरूद्ध कार्यवाही एक तरफा किये जाने का आदेश दिया गया। हाजिर वकील प्रार्थीगण द्वारा प्रकरण का निस्तारण आज ही किये जाने की ईश्तदुआ की गई। हाजिर वकील प्रार्थीगण द्वारा की गई बहस प्रार्थना पत्र को एक तरफा सुना गया। हाजिर वकील प्रार्थीगण द्वारा निवेदन किया गया कि मामला पत्थरगढी का है व प्रार्थीगण अपनी आराजीयात की पत्थरगढी कराना चाहते है, अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावें। हमने प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। चिंतन मनन किया एवं पत्रावली को वास्ते आदेश नियत किया गया।

हमने पत्रावली का आद्यौपान्त अवलोकन किया। प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत राजस्व अभिलेख नकल जमाबन्दी का अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्यों व बहस पर मनन किया। प्रार्थीगण आराजियात जैरबहस के खातेदार काश्तकार हो कर इन्हें आराजीयात जैर–बहस की नपती करा सीमांकन (पत्थरगढी) कराने का अधिकार निहित है। उपर्युक्त विवेचन के क्रम मे प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि के खातेदार सह काश्तकार होने से सीमाज्ञान कराने के अधिकारी होने से प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 128 राज0 भू–राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार कपासन को सीमांकन (पत्थरगढी) कराने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार कपासन को आदेश दिया जाता है कि मौजा कपासन पटवार हल्का कपासन तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ की जमाबंदी संवत् 2074–2077 के खाता संख्या 1550 में अभिलिखित आराजीयात आराजी संख्या 6704 रकबा 0.4300 है0 कृषि भूमि फरीकेन मुकदमा को सूचित किया जाकर उनकी उपस्थिति में कब्जे में बिना किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप किये व किसी न्यायालय का स्थगन न हो तो एवं मौके पर फसल खडी न हो तो बन्दोबस्ती नक्शे अनुसार नपती की जाकर सीमा चिन्ह स्थापित कर सीमांकन (पत्थरगढी) किया जावे एवं पर्चा मौका एवं मौका नक्शा 15 दिवस में इस न्यायालय में प्रस्तुत करे। सीमांकन (पत्थरगढी) हेतु तहसीलदार कपासन को 1000/– रूपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, कमिश्नरी शुल्क का रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका आगामी 15 दिवस में आवश्यक रूप से पेश करे तथा कमिश्नरी फीस प्रार्थीगण से मौके पर प्राप्त करें। तहसीलदार कपासन को तहरीर जारी करे।

पत्रावली की निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में भिजवाई जावें। निर्णय आज दिनांक 15.06.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(विनोद कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
कपासन

Signature Not Verified
Digitally signed by Vinod Kumar
Date: 2022.08.17 12:32:31 IST
Reason: SelfAttested